

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

कार्मिक विभाग एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति क्रमांक प.20) शिक्षा-2/2013 दिनांक 6.11.2015 एवं दिनांक 22.08.16 की पालना में दिनांक 31.07.2016 से पूर्व सेवा निवृत्त होने वाले निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा)की उनके तदर्थ/अस्थाई रूप से व्याख्याता पद पर पदस्थापन अवधि से उन्हें नियमित डीपीसी/पीएससी-चयन अथवा सेवा निवृत्ति होने तक की अवधि की कार्योत्तर अभिवृद्धि राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुसरण में एतद द्वारा जारी की जाती है।

कस	नाम व्याख्याता मय पदस्थापन (सर्वश्री/श्रीमती/सूश्री)	विषय	जन्मतिथि	तदर्थ पदोन्नति आदेश क्रमांक व दिनांक	डीपीसी/आरपीएससी वर्ष	सेवानिवृत्ति तिथि
1	गोपीकिशन शर्मा, से.नि., राउमावि, फुलेरा जयपुर	वाणिज्य	10-11-1951	शिविरा/मा/संस्था/सी-2/31821/85-86 दिनांक-10.11.86	डीपीसी-2008-09	30-11-2011
2	पूर्णानन्द शर्मा, प्रधानाचार्य से.नि., राउमावि, भौरी, भरतपुर	इतिहास	08-06-1948	शिविरा/मा/संस्था/सी-2/31807/पदोन्नति/90-91 दिनांक-22.11.90	डीपीसी-1994-95	30-06-2008



(नथमल डिलेल)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक- 20.2.18

क्रमांक/शिविरा/मा/संस्था/सी-8/पेंशन आक्षेप/2012 184

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 शासन उपसचिव, (शिक्षा ग्रुप-2) विभाग, जयपुर
- 2 निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 3 संबंधित उप निदेशक (माध्यमिक), शिक्षा विभाग
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक)
- 5 संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक
- 6 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 7 निजी/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक कार्मिक  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर